<u>फर्द अहकाम</u>

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

राशि जैन बनाम राजेन्द्र कुमार

विविध याचिका संख्या 91/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>05.08.2024</u>	वकील पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व तारीख पेशी पर सुनी जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र की बहस में उभय पक्षों ने अपने–अपने प्रार्थना पत्रों एवं जवाब प्रार्थना पत्रों के तथ्यों को दोहराया है। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने इन्हीं पक्षकारान को पक्षकार बनाये जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पूर्व में अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी के तहत दिनांक 15.04.2023 को प्रस्तुत किया था। जिस प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 25.08.2023 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। जिस आदेश का पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र को भी इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 10.01.2024 द्वारा अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का कथन है कि उन्होंने एडब्ल्यू–1 गवाह की साक्ष्य के पश्चात् पुनः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, क्योंकि गवाह एडब्ल्यू–1 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि वह नकूल राज सेठी के इन्दौर, मध्यप्रदेश पोस्ट ऑफिस में बचत खाते में जमा राशि तथा बीएआरसी मेम्बरशीप में जमा राशि, आरबीआई मुंबई में जमा राशि तथा एचडीएफसी लि. में जमा राशि को प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इस न्यायालय के मत में ऐसी स्थिति में जबकि समान आधारों पर उन्ही पक्षकारों के संबंध में प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने पुनः उन्हीं पक्षकारों को पक्षकार बनाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र केवल मात्र प्रकरण में विलंब करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के कोई न्यायसंगत आधार पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र दो हजार रूपये खर्चे पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। कोस्ट राशि तालुका विधिक सेवा किशनगढ में जमा करवाई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थीया हेतु दिनांक .... को पेश हो। (संदीप आनन्द)	